न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–59 / 2005–06 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

कर्म सिंह उर्फ काला पुत्र भरत सिंह, निवासी–ग्राम रजगपुर, परगना मंगलौर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

बनाम

1– श्रीमती जगवती पत्नी निर्मल सिंह, निवासी–ग्राम मथाना, परगना गोरधनपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार, 2. उत्तरांचल सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार, 3. ग्राम सभा डोसनी द्वारा ग्राम प्रधान, 4. रफलसिंह पुत्र भरत सिंह, निवासी–ग्राम कुआंखेड़ा, परगना मंगलौर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार, 5. विनोद कुमार पुत्र अतर सिंह, निवासी मूले वाला, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार, 6. नरेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह, निवासी–ग्राम ज्ञान खेड़ा, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : अनुपस्थित।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : अनुपस्थित।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, कैम्प देहरादून द्वारा अपील संख्या–05 वर्ष 2000–01 कर्म सिंह उर्फ काला बनाम श्रीमती जगवती आदि में पारित आदेश दिनांक 21–07–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षित तथ्य इस प्रकार हैः–

निगरानीकर्ता / वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 बावत भूमि खसरा नं0–24 क्षेत्रफल 14 विस्वे 5 विस्वांसी, खसरा नं0–60 क्षेत्रफल 1–13–0, खसरा नं0–77मि0 क्षेत्रफल 5–12–5, खसरा नं0–93 क्षेत्रफल 17–13–5 व खसरा नं0–77मि0 क्षेत्रफल 1–5–10 स्थित मौजा रजगपुर, परगना मंगलौर तत्कालीन जनपद सहारनपुर वर्तमान में जनपद हरिद्वार का स्वयं को भूमिधर घोषित किये जाने हेतु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी, हरिद्वार के समक्ष दिनांक 03–06–1987 को इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि के मूल भूमिधर भरत सिंह के दो पुत्र निगरानीकर्ता / वादी एवं उत्तरदात्री / प्रतिवादिनी–1 के पति थे, कि प्रतिवादिनी के पति का देहान्त मूल भूमिधर भरत सिंह के रहते हो गया था तथा भरत सिंह के मरने के बाद विवादित भूमि पर गलत रूप से उसकी माता खजानी एवं प्रतिवादिनी संख्या–1 का नाम दर्ज हो गया जबकि उसका वादग्रस्त

भूमि पर मुखालफाना, शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के कब्जा 12 वर्षों से चला आ रहा है। उत्तरदात्री संख्या–1/प्रतिवादिनी के पति की मृत्यु के उपरान्त उसने दूसरी शादी कर ली एवं उसका जो कुछ अधिकार विवादित भूमि पर था वह दूसरी शादी करने के बाद समाप्त हो गये है। निगरानीकर्ता की माता का भी स्वर्गवास हो गया है अतः वादग्रस्त भूमि का उसे भूमिधर घोषित किया जाए। वाद में पक्षकारों को विधिवत सुनने के उपरान्त विद्वान सहायक कलेक्टर ने पक्षों के मध्य पूर्व में भी एक वाद इन्ही आधारों पर योजित होने एवं उसका अंतिम निस्तारण राजस्व परिषद, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 21–10–1981 से उत्तरदात्री संख्या–1/प्रतिवादिनी संख्या–1 के पक्ष में निर्णीत होने के फलस्वरूप वाद प्राड़न्याय और विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित होने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 31–03–1995 से निरस्त किया। आदेश दिनांक 03–03–1995 के विरूद्ध करमसिंह द्वारा तत्कालीन अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विवादित भूमि के नियमानुसार विभाजन के लिए वाद अवर न्यायालय को आदेश दिनांक 14–02–1997 से प्रत्यावर्तित किया गया जो वादी/निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में दिनांक 23–06–1998 को निरस्त किया गया। अदम पैरवी आदेश दिनांक 23–06–1998 के विरूद्ध पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 10–04–2000 से इस आधार पर निरस्त किया कि निगरानीकर्ता/वादी द्वारा पुनर्जीवित करने हेतु पैरवी नही की जा रही है।

आदेश दिनांक 10–04–2000 के विरूद्ध पुनः 11–04–2000/18–04–2000 को एक पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र मय धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 11–04–2000 पर पक्षकारों की बहस सुनने के उपरान्त विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 11–06–2001 से यह कहते हुए कि वादी द्वारा दिनांक 23–06–1998 को अदम पैरवी में निरस्त हुए वाद के पुनर्जीवित हेतु जो पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र 3 माह के पश्चात प्रस्तुत किया गया है उसमें धारा–5 मियाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही हुआ है जो दिनांक 10–04–2000 को अदम पैरवी में निरस्त हो चुका है जिसके विरूद्ध पुनः प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 11–04–2000 बलहीन है, निरस्त किया। आदेश दिनांक 11–06–2001 के विरूद्ध निगरानीकर्ता/वादी द्वारा आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 20–07–2001 से निरस्त किया। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

इस निगरानी में विगत कई तिथियों से पक्षकारों की ओर से न तो उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हो रहे है और न ही पक्षकार। तद्नुसार यह निगरानी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निस्तारित की जा रही है।

मूल वाद पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसके संचालन में वादी/निगरानीकर्ता द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है। वाद की पैरवी प्रभावी ढंग से न किये जाने एवं वाद की सुनवाई में अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप वाद दिनांक 23–06–1998 को

अदम पैरवी में निरस्त हुआ जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता/वादी ने 3 माह के विलम्ब पश्चात पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र बिना धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रस्तुत किया गया–यह पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र भी वादी/निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति की वजह से दिनांक 10–04–2000 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध पुनः पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 11–04–2000 प्रस्तुत किया गया जिसे धारा–5 मर्यादा अधिनियम के अधीन विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र न प्रस्तुत होने एवं बलहीन होने के कारण विद्वान सहायक कलेक्टर ने दिनांक 11–06–2001 से निरस्त किया।

विद्वान आयुक्त ने भी अपने अपीलीय आदेश में स्पष्ट किया कि अपीलार्थी ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र दिनांक 18–09–1998 अदम पैरवी में निरस्त आदेश दिनांक 23–06–1998 के लगभग तीन माह वाद प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ विलम्ब मर्षण हेतु धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है और न ही तीन माह के विलम्ब का कोई कारण उल्लिखित किया है। दिनांक 23–06–1998 को निगरानीकर्ता/अपीलार्थी का किसी कार्य से बाहर जाना और अपने अधिवक्ता को सूचना न दे पाना वाद के अदम पैरवी में निरस्त होने का कारण हो सकता है परन्तु यह विलम्ब का कारण कदापि नही है।

विद्वान आयुक्त के उक्त निष्कर्ष एवं विवेचन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा सभी परिस्थितियों/स्थितियों का विश्लेषण कर ही आक्षेपित आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की तात्विक एवं विधिक अनियमितता नही परिलक्षित होती है तथा उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। मूलवाद की कार्यवाही में वादी/निगरानीकर्ता का आचरण अत्यन्त लापरवाहपूर्ण रहा है जो अदम पैरवी में निरस्त होने के फलस्वरूप प्रस्तुत किये गये पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्रों में बरती गई लापरवाही से भी परिलक्षित होती है। फलस्वरूप निगरानी स्वीकारणीय नही है।

आदेश–

निगरानी अस्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 02–5–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)